

DSS3207.01.24

# तथ्य-पत्र - अक्षमता सेवाएँ एवम् समावेशन अधिनियम (Disability Services and Inclusion Act) 2023 का संक्षिप्त विवरण

*अक्षमता सेवाएँ एवम् समावेश*न *अधिनियम* (*Disability Services and Inclusion Act) (*डीएसआई एक्ट)2023,1जनवरी 2024 को लागू हुआ था। इसके लागू होने से *अक्षमता सेवाएँ अधिनियम (Disability Services Act) 1986* (डीएसए) निरस्त हो गया और उसकी जगह इस अधिनियम ने ले ली। डीएसए में पिछले तीस साल से भी ज़्यादा समय से कुछ खास अपडेट नहीं हुआ था। सरकार ने डीएसआई अधिनियम को दो बार के सार्वजनिक विचार-विमर्श के द्वारा तैयार किया था। उस विचार-विमर्श में प्रतिनिधि संगठन, सेवा प्रदाता तथा अक्षमता वाले व्यक्ति शामिल थे।

डीएसआई अधिनियम का उद्देश्य है:

* कॉमनवैल्थ सरकार के लिए, राष्ट्रीय अक्षमता बीमा योजना (एनडीआईएस) के अंतर्गत न आने वाले डिसेबलिटी समर्थन तथा सेवाओं को फंडिग जारी रखने के लिए स्पष्ट क़ानूनी आधार प्रदान करना
* इस क़ानून के अंतर्गत जिन समर्थनों और सेवाओं को अधिकृत किया गया है उनकी गुणवत्ता और सुरक्षात्मकता में सुधार लाना
* अक्षमता वाले व्यक्तियों के अधिकारों के बारे में युनाइटेड नेशन्स की संधि (सीआरपीडी) तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को प्रभावी बनाना।

डीएसआई अधिनियम अन्य राष्ट्रीय क़ानूनों का पूरक है, जिनमें निम्नांकित अधिनियम भी शामिल हैं:

* *अक्षमता भेदभाव अधिनियम 1992 (Disability Discrimination Act 1992)*
* *सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 1991 (Social Security Act 1991)*
* *राष्ट्रीय अक्षमता बीमा योजना अधिनियम 2013 (National Disability Insurance Scheme Act 2013)*
* *ऑस्ट्रेलियाई मानव अधिकार आयोग अधिनियम 1986 (Australian Human Rights Commission Act 1986)*

डीएसआई अधिनियम ‘अक्षमता (डिसेबलिटी)’ को परिभाषित नहीं करता। यह समर्थनों और सेवाओं को किसी विशेष लक्ष्य समूह के लिए सीमित नहीं करता। इससे विशेष समूहों या जनसाँख्यिकी के लिए लक्षित योजनाओं की फंडिंग में रुकावट नहीं आती है।

## पात्र गतिविधियाँ

डीएसआई अधिनियम कई तरह की गतिविधियों के लिए फंडिंग की अनुमति के लिए प्राधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम में इन्हें पात्र गतिविधियाँ कहा गया है। डीएसआई अधिनियम के अंतर्गत निम्नांकित गतिविधियाँ, पात्र गतिविधियाँ हैं:

* (एक्सेसबिलिटी
* आवास
* पक्ष- समर्थन (एडवोकसी)
* क्षमता निर्माण
* देखभालकर्ता
* सामुदायिक समावेशन
* काउंसलिंग
* शिक्षा
* रोज़गार
* स्वतंत्र रूप से रहना
* सूचना
* मनोविनोद
* रेस्पाइट देखभाल
* अनुसंधान तथा मूल्यांकन

## क़ानूनी फंडिंग की शर्तें

डीएसआई अधिनियम में क़ानूनी फंडिंग के लिए शर्तें हैं। ये वो नियम हैं जिनका पालन करना सभी सेवा प्रदाताओं को फंडिंग पाने के लिए आवश्यक होता है। ये आवश्यकताएँ सेवा प्रदाताओं और अक्षमता (डिसेबलिटी) वाले लोगों के लिए स्पष्ट अपेक्षाएँ निर्धारित करती हैं। जिससे प्रदाता के आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहने पर पहचान करना ज़्यादा आसान हो जाता है। फंडिंग की इन शर्तों का उद्देश्य नियामकता के भार को कम से कम रखते हुए सुरक्षात्मकता को संतुलित करना है। ये आवश्यकताएँ इस प्रकार हैं:

* आचार संहिता (Code of Conduct) का पालन करना
* यदि व्यवस्था या ग्रांट एक विनियमित गतिविधि है, तो अनुपालन का प्रमाणपत्र रखना
* शिकायतों के प्रबंधन के लिए एक उचित प्रणाली लागू करना और उसे बनाए रखना
* घटनाओं के प्रबंधन के लिए एक उचित प्रणाली लागू करना और उसे बनाए रखना
* एनडीआईएस प्रतिबंध आदेश के अधीन नहीं होना

## अधिनियम के सपोर्ट के लिए क़ानूनी साधन

डीएसआई अधिनियम मंत्री या सचिव को डीएसआई अधिनियम के तहत पाँच क़ानूनी साधनों की स्थापना की अनुमति देता है। इन क़ानूनी साधनों का विवरण नीचे दिया गया है।

**आचार संहिता (Code of Conduct) साधन:**

* यह आचार संहिता (Code of Conduct) एनडीआईएस की आचार संहिता (Code of Conduct) के समान ही है। यह सेवा को सुरक्षित और नैतिक तरीके से प्रदान किए जाने के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित करती है।

**विनियमित गतिविधियाँ साधन:**

* डीएसआई द्वारा निधिबद्ध कुछ गतिविधियाँ ज़्यादा जोखिम वाली हो सकती हैं। ये गतिविधियाँ अतिरिक्त विनियमों के अधीन हो सकती हैं और इन्हें ‘विनियमित गतिविधियाँ’ कहा जाता है। इस साधन से यह तय करने के लिए मानदंड निर्धारित होते हैं कि कोई गतिविधि एक विनियमित गतिविधि है या नहीं।

**अनुपालन मानदंड तथा अनुपालन की वैकल्पिक आवश्यकताएँ साधन:**

* यह साधन उन मानदंडों को रेखांकित करता है जिनका पालन करना विनियमित गतिविधियों के लिए आवश्यक होता है। अक्षमता सेवाओं के लिए राष्ट्रीय मानदंड ही सामान्य मानदंड हैं। यह वैकल्पिक अनुपालन आवश्यकताओं को स्थापित करता है जिन्हें मान्यता प्राप्त हो सकती है।

**शिकायतें तथा घटना प्रबंधन साधन:**

* यह साधन शिकायतों पर कार्यवाही करने और घटनाओं की रिपोर्ट करने से सम्बंधित नियम तय करता है। इनमें शामिल है रिपोर्ट करने के लिए समय सीमा और कौनसी जानकारियाँ एकत्रित की जानी चाहिए।

**सूचना प्रकटीकरण साधन:**

* यह साधन उन उद्देश्यों को निर्धारित करता है जिनके लिए संबंधित जानकारी का उपयोग और प्रकटीकरण किया जा सकता है।

## अधिक जानकारी

अधिक जानकारी के लिए, कृपया [www.dss.gov.au/dsi-act](http://www.dss.gov.au/dsi-act) पर जाएँ।